

(SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) As per approved VI plan, the targets of production of crude oil were 11.8 million tonnes in 1982-83, 12.7 million tonnes in 1983-84 and 13.2 million tonnes in 1984-85.

(b) As per the Plan the programme of exploratory and development drilling during the period 1982-83 to 1984-85 is given below:—

	1982-83	1983-84	1984-85	Total
Exploratory wells	21	20	21	62
Development including water injection	35	36	28	99
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>161</b>

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

### Shifting of the Headquarters of ONGC

72. SHRI VITHTHALBHAI MOTI-RAM PATEL:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a demand for shifting the headquarters of the Oil and Natural Gas Commission from Dehradun to an oil producing State;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) what are the reasons for not shifting the headquarters of Oil and Natural Gas Commission from Dehradun which is not producing a drop of oil?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No such demand has been received;

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में खाना पकाने की गैस एजें-  
सियां और पेट्रोल पम्प

73. श्री राम भगत पासवान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री

यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खाना पकाने की गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस अभी तक कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं ; और

(ख) क्या लाइसेंस जारी करते समय हिजन और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, यदि हां, तो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया और यदि नहीं, तो क्या सरकार आरक्षण कोटा भरने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :

(क) 1-1-82 को बिहार राज्य में कुल 34 एल० पी० जी० और 689 फुटकर पेट्रोल विक्री केन्द्र/वितरण एजेंसियां दी गई हैं और चालू की गई हैं ।

(ख) 23-9-77 से पहली बार सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लिये सभी प्रकार की एजेंसियां/डीलरशिपों के 25% आरक्षण की नीति निर्धारित की गई थी । इससे पहले 1-1-74 से 'बी' स्थल के फुटकर पेट्रोल विक्री केन्द्र अर्थात् डीलर स्वामित्व और डीलर मंचालित पेट्रोल